कार्मिक (क-1) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या ...2325...
दिनांक ...11/5...

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांक प2(34)कार्मिक/क-3/99 जयपुर दिनांक 8-5-2000

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)

परिपत्रादेश

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा राजकार्य में उत्पन्न भ्रष्टाचार के निवारण के संबंध में विस्तार से विचार करके विस्तृत कार्ययोजना बनाने हेतु शासन सचिवों की एक समिति का गठन किया गया था।

मुख्य सचिव द्वारा आयोजित बैठकों में हुई चर्चा तथा समिति को प्राप्त सुझावों के अनुसार समिति द्वारा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा की गई सिफारिशों का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है।

समिति के प्रतिवेदन में अंकित सिफारिशों को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है। जिन सिफारिशों पर दिनांक 31-5-2000 तक कार्यवाही की जानी है उन्हें परिशिष्ट-I पर तथा जिन सिफारिशों पर दिनांक 31-7-2000 तक कार्यवाही की जानी है उन्हें परिशिष्ट-II पर अंकित किया गया है।

समस्त प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को परिशिष्ट-I तथा परिशिष्ट-II की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि वे इन परिशिष्टों में उल्लेखित बिन्दुओं पर निर्धारित तिथि तक कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार को अवगत करावें।

शासन सचिव 8/5/2000

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-1) विभाग

क्रमांक: प.10(5)कार्मिक/क-1/2000 जयपुर, दिनांक: 9 MAY 200

प्राप्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-1)
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-2)
3. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-3)- श्री एम.एल.जैन
4. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-3) -श्री एम.एस.मोहनोत
5. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-3)- श्री रामनारायण
6. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-5)
7. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख)

18/5

(एस.ना.गोठार)

उप शासन सचिव।

परिशिष्ठ-1

भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु अविलम्ब (31मई 2000 तक) कार्यवाही किये जाने वाले कार्य

(1) संदेहास्पद आचरण व खराब छवि वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की एक सूची बनाई जाय तथा उन्हें तुरंत महत्वपूर्ण पदों से हटाया जाय।

(2) खराब छवि वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को रिकार्ड के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत किये जाने की कार्यवाही की जाय।

(3) राजस्व प्राप्ति वाले विभाग जैसे परिवहन, वाणिज्य कर, आबकारी, भूमि एवं भवन कर, पंजीयन एवं मुद्रांक आदि में जहां खराब छवि के कार्मिकों को तुरंत महत्वपूर्ण पद से हटाये जाने की कार्यवाही की जाय वहीं उनका अन्य विभागों में स्थानान्तरण करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कोई अधिकारी/कर्मचारी कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक राजस्व प्राप्ति वाले विभागों/पदों पर न रहें।

(4) सचिवालय में भी 5 वर्ष के कार्यकाल से अधिक कोई अधिकारी/कर्मचारी एक ही अनुभाग में कार्यरत न रहे। एक ही अनुभाग में 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल वाले ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार कर उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही प्रारम्भ करदी जाय।

(5) प्रत्येक विभाग के लिये विभागाध्यक्ष द्वारा अलग से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये। जिसमें इस विषय को विशेष रुप से देखा जाना चाहिये कि उस विभाग में भ्रष्टाचार संवेदी स्थल, कार्य प्रणाली तथा प्रचलित व्यवस्था में भ्रष्टाचार की क्या सम्भावना बनती है तथा उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। इस संबंध में उसके अनुसार एक निश्चित कार्यक्रम तैयार किया जाय।

(5) बड़े निर्माण कार्य/प्रोजेक्ट/अनुदान से चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित सूचना कार्यस्थल पर बोर्ड पर डिस्प्ले की जाय।

(6) ग्रामीण विकास व कृषकों के लाभ के लिये जो भी योजनाएं वर्तमान में चलाई जा रही है उनकी आगामी ग्राम सभा में सभी ग्रामवासियों को जानकारी दी जाय कि उन योजनाओं के तहत उन्हें किस प्रकार का लाभ मिल सकता है।

(7) बजट की राशि का उपयोग प्रारम्भ से ही आवश्यकतानुसार किया जाय ताकि वर्ष के अंत में आनन फानन में अचानक की जाने वाली खरीद से बचा जा सके। अधिक तादाद में सामग्री खरीद से पूर्व अन्य विभागों में जहां उस सामान की खरीद हो सकती है वहां से जानकारी प्राप्त की जाय कि उनके पास उक्त सामान स्टोर में बिना उपयोग के बचा हुआ तो नहीं है। क्रय किये गये सामान की गुणवत्ता की पुख्ता जांच हो इस व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया जाय।

(8) वित्त विभाग द्वारा 28 फरवरी तक ही स्वीकृतियां जारी जांय तथा किसी भी विभाग में 15 मार्च के बाद कोई खरीद न की जाय।

(9) प्रत्येक विभाग में आंतरिक सतर्कता को अधिक सुदृढ़ बनाया जाय। महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के आचरण पर निगाह रखने के लिये कोई कारगर व्यवस्था की जाय। जिन सीटों पर आम नागरिक का सीधा सम्पर्क रहता है उसमें कार्य निष्पादन के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाय। आकस्मिक निरीक्षण भी समय समय पर किया जाय।

(10) प्रत्येक विभाग में मानदण्डों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को दौरों पर जाना चाहिये तथा रात्रि विश्राम करना चाहिये तथा यह अनिवार्य किया जाना चाहिये कि वे प्रत्येक दौरे के बाद तुरंत दौरे की रिपोर्ट/ साईट निरीक्षण अथवा निरीक्षण आदि की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर अपने उच्चाधिकारी को प्रस्तुत करें।

(11) किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई स्पष्ट व पुख्ता साक्ष्य के साथ शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाय तथा सत्यता पाये जाने पर उसे उस पद से हटाते हुए अविलम्ब अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

(12) आडिट पार्टी के आक्षेपों पर तत्परता से कार्यवाही की जाय।

(13) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज मामलों में अभियोजन स्वीकृति के बारे में अविलम्ब कार्यवाही की जाय।

(14) विभागीय जांच के मामलों के निस्तारण में शीघ्र कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा विभागीय जांच के मामलों में जो सूचना चाही जाती है उसे अविलम्ब उपलब्ध कराई जाय। सूचना उपलब्ध कराने में जिस स्तर पर विलम्ब किया जाता है उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

(15) पंजीयन एवं मुद्रांक, गृह कर, भूमि भवन कर एवं शहरी जमाबंदी पर प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन का परीक्षण व उनमें सुझाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाय।

भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु 31 जुलाई 2000 तक कार्यवाही किये जाने वाले कार्य

(1) स्थानान्तरण/पदस्थापन में महत्वपूर्ण पदों पर सत्यनिष्ठा व ईमानदार छवि के कार्मिकों को पदस्थापित किया जाय।

(2) प्रत्येक विभाग की अलग से एक स्थानान्तरण नीति होनी चाहिये जिसकी कठोरता से पालना होनी चाहिये तथा उच्चाधिकारियों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जाय। इस नीति से हटकर कोई स्थानान्तरण न किये जाय।

(3) जिन सीटों पर आम जनता से सीधा सम्पर्क बनता है वहां के कार्यों में पारदर्शिता के साथ प्रत्येक कार्य की समय सीमा निर्धारित की जाय ताकि आम नागरिक को अपने कार्य के लिये बार बार चक्कर न लगाने पडें। यदि आवेदन में कोई कमियां है तो आगन्तुक को एक बार में ही समस्त कमियों की पूर्ति हेतु जानकारी दी जाय व समस्या आने पर उच्चाधिकारी द्वारा अविलम्ब समाधान किया जाय। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाय कि एक प्रकार का कार्य एक ही सीट पर सम्पादित हो ताकि आम नागरिक को अलग अलग सीटों पर कार्य के लिये चक्कर न लगाने पडें।

(4) प्रत्येक विभाग में उन कार्यों व परिस्थितियों को मालूम किया जाय जिनके लिये आम जनता को कार्य सम्पादन के लिये उनके कार्यालयों में बार बार आना पडता है तथा सरकारी कर्मचारी से सीधा सम्पर्क कायम करना पडता है। नियमों आदि में संशोधन कर इस प्रकार की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये कि जहां तक सम्भव हो आम नागरिक को कार्यालय में आने की जरुरत ही न पडे या अगर उसका आना जरुरी हो तो उसे कम से कम किया जा सके। उदाहरणार्थ पासपोर्ट अब 20 वर्ष के लिये दिये जाते हैं, परिवहन विभाग द्वारा पंजीयन की एक मुश्त राशि वसूल की जाती है तथा लाइसेंस 50 वर्ष की आयु तक के लिये दिया जाता है तथा भूमि एवं भवन कर विभाग में एक मुश्त राशि ले ली जाती है।

(5) नियमों में प्रक्रियात्मक जटिलताओं के सरलीकरण की व्यवस्था की जाय। यदि नियमों में संशोधन की आवश्यकता हो तो उसके लिये प्रस्ताव लाये जांय। जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण/ नगर निगम व नगर विकास न्यास आदि में भूमि आवंटन व बिल्डिंग प्लान व नक्शे अनुमोदित कराने की जटिल प्रक्रिया को सरल करने हेतु नियमों में संशोधन किया जाना चाहिये।

(6) इसी प्रकार प्रत्येक विभाग में उन कार्यों की समीक्षा भी की जाय जिसके निर्णय के लिये अधिकारी/कर्मचारी अपने स्वविवेक का उपयोग कर सकते हैं तथा इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि उनके इस स्वविवेक के प्रावधान को किस प्रकार हटाया जाय अथवा यदि यह सम्भव न हो तो उसे किस प्रकार कम से कम किया जाय। उदाहरणार्थ नगर निगम के कर्मियों द्वारा वार्षिक किराये के आधार पर ग्रह कर निर्धारण में या भूमि एवं भवन कर विभाग के कर्मियों द्वारा प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार कर निर्धारण के निर्णय में उनको स्वविवेक से निर्णय लेने का व्यापक अधिकार दिया हुआ है जिसमें भ्रष्टाचार की सम्भावना बनती है।

(7) छोटे व रुटिन के कार्यों के लिये निर्णय की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाय ताकि, इन कार्यों के निस्तारण में विलम्ब न हो।

(9) प्रत्येक विभाग में आंतरिक सतर्कता को अधिक सुदृढ़ बनाया जाय। महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के आचरण पर निगाह रखने के लिये कोई कारगर व्यवस्था की जाय। जिन सीटों पर आम नागरिक का सीधा सम्पर्क रहता है उसमें कार्य निष्पादन के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाय। आकस्मिक निरीक्षण भी समय समय पर किया जाय।

(10) प्रत्येक विभाग में मानदण्डों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को दौरों पर जाना चाहिये तथा रात्रि विश्राम करना चाहिये तथा यह अनिवार्य किया जाना चाहिये कि वे प्रत्येक दौरे के बाद तुरंत दौरे की रिपोर्ट/ साईट निरीक्षण अथवा निरीक्षण आदि की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर अपने उच्चाधिकारी को प्रस्तुत करें।

(11) किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई स्पष्ट व पुख्ता साक्ष्य के साथ शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाय तथा सत्यता पाये जाने पर उसे उस पद से हटाते हुए अविलम्ब अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

(12) आडिट पार्टी के आक्षेपों पर तत्परता से कार्यवाही की जाय।

(13) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज मामलों में अभियोजन स्वीकृति के बारे में अविलम्ब कार्यवाही की जाय।

(14) विभागीय जांच के मामलों के निस्तारण में शीघ्र कार्यवाही की जाय। कार्मिक विभाग द्वारा विभागीय जांच के मामलों में जो सूचना चाही जाती है उसे अविलम्ब उपलब्ध कराई जाय। सूचना उपलब्ध कराने में जिस स्तर पर विलम्ब किया जाता है उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

(15) पंजीयन एवं मुद्रांक, गृह कर, भूमि भवन कर एवं शहरी जमाबंदी पर प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन का परीक्षण व उनमें सुझाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाय।